कार्यालय उप निदेशक (वि0/यॉ0)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

नवीन मण्डी स्थल पहड़िया वाराणसी।

पत्रांक: वि0/यॉ0/वारा0/निविदा/2026– 1319 दिनांक 06.05. 2026

ई–प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

कार्यालय पत्रांक 1287 दिनांक 10.04.2026 के माध्यम से विद्युत/यॉत्रिक कार्यों हेतु दिनांक 05.05.2026 को ई–निविदा आमंत्रित की गयी थी। उक्त तिथियों को कोई भी निविदा प्राप्त नही होने कारण पुनः ई–निविदा वित्तीय रूप से सुदृढ एवं मण्डी परिषद में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से **Two bid system** के माध्यम से दिनांक 22.05.2026 को ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसकी तकनीकी बिड अपरान्ह 12.30 बजे खोली जायेगी। मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभाग PWD, RED, UPRNN एवं UPPCL में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार भी कार्य क्षमता निर्धारण हेतु लोक निर्माण विभाग में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निविदा में प्रतिभाग कर सकेंगे।

क्र0सं0	मण्डी समिति का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत ठेकेदारो की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	01 नग 16 मी0 ऊँचा हाई मास्ट लाइट की आ0/स्था0, केबलिंग एवं तत्सम्बन्धी कार्य।	4.66	1100.00	47000.00	4 माह	'स' श्रेणी
		Tender Id –					

निविदा प्रपत्र वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर **दिनांक 07.05.2026 से दिनांक 21.05.2026** की सांय 5.00 बजे तक डाउनलोड करते हुए अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा आमन्त्रण सूचना, नियम, शर्ते एवं विवरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में एवं उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर देखी, पढ़ी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

06.05.26

उप निदेशक (वि0/यॉ0)
मण्डी परिषद, वाराणसी।

(प्रकाशन के लिए नही)

पृष्ठांकन संख्या : दिनांक 2026

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी...............
2. मुख्य अभियन्ता ग्रेड–2, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक (वि0/यॉ0), मण्डी परिषद, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रण, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5. विशेष कार्याधिकारी (विधि), मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित सं0 उपनिदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद.........
7. समस्त उपनिदेशक {निर्माण/(वि0/यॉ0)} मण्डी परिषद, उ0प्र0.........
8. निजी सचिव, निदेशक को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निजी सचिव, अपर निदेशक को अपर निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. सम्बन्धित सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ...............
13. सिस्टम मैनेजर/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मण्डी परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र– दैनिक जागरण/ अमर उजाला /न्यायाधीश को इस आशय से प्रेषित कि वाराणसी के संस्करण में सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित डी0ए0वी0पी0 दरों पर न्यूनतम स्पेस में एक बार तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
15. सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0)/संगणक/सहायक लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, वि0/यॉ0 खण्ड–वाराणसी।
16. सम्बन्धित पंजीकृत ठेकेदार............
17. नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

उप निदेशक (वि0/यॉ0)

नोट (नियम व शर्ते)

1. ई–निविदा आमत्रंण तिथि को यदि सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है तो ई–निविदायें अगले कार्यदिवस में खोली जायेंगी।
2. ई–निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उपनिदेशक (वि0/यॉ0) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, वाराणसी मे भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या–41318722750 (IFS CODE-SBIN0002598) में जमा कर बैंक से प्राप्त UTR NO. की प्राप्ति रसीद बिड डाक्यूमेंट के साथ उपलब्ध कराना होगा।
3. धरोहर धनराशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उप निदेशक (वि0/यॉ0) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, वाराणसी के भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या–41318723254 (IFS CODE-SBIN0002598) में जमा कर बैंक से प्राप्त UTR NO. की प्राप्ति रसीद बिड डाक्यूमेंट के साथ उपलब्ध कराना होगा।
4. रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर जो ट्रेजरी कार्यालय से जारी हुआ हो के साथ रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
5. वाणिज्यकर, आयकर/श्रम विभाग के नियमों के अनुसार एवं लेबर सेस की कटौती ठेकेदार के देयको से की जायेगी। अनुबन्ध गठन के अन्दर 60 दिन के अन्दर श्रम विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
6. ई–निविदादाता बार काउन्सिल का सदस्य नही होना चाहिए ऐसे निविदादाता को निविदा डालने की अनुमति नही होगी, जिनके सगे सम्बन्धी (प्रथम ब्लड रिलेटेड) मण्डी परिषद में कार्यरत होंगे।
7. वेबसाईट www.etender.up.nic.in से डाउनलोड किये फार्म में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में कार्यालय में अनुरक्षित निविदा फार्म की मूलप्रति ही मान्य होगी।
8. सशर्त ई–निविदा मान्य नही होगी। एक अथवा समस्त ई–निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
9. ई–निविदा उन्ही फर्मो की मान्य होगी जिसका जी0एस0टी0 में रजिस्टर होगा, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वेब साइट पर अपलोड करना एवं कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. ई–निविदा की दरें 90 दिन तक मान्य होगी।
11. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी, जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए दो वर्ष से कम अवधि पूर्ण की हो एवं उनके सगे–सम्बन्धी को ई–निविदा डालने का अधिकार नहीं होगा।
12. शासनादेश संख्या–4435/छ:–पु–14–06–50(7)/2006 दिनांक 02.11.06 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र को रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर भरकर प्रारूप टी–4, टी–5 एवं टी–6 के रूप में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. ई–निविदा के समस्त कार्यो की अनुरक्षण अवधि 01 वर्ष होगी। धरोहर/जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने के 01 वर्ष पश्चात् अवमुक्त की जायेगी परन्तु एल0ई0डी0 लाइटों का अनुरक्षण 05 वर्ष तक किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र अण्टरटेकिंग फर्म द्वारा दी जायेगी।
14. हाईमास्ट लाइट की आपूर्ति/स्थापना के कार्य की जमानत अवधि 18 माह की होगी। धरोहर धनराशि 18 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी परन्तु एल0ई0डी0 फ्लड0 लाइटों का अनुरक्षरण 05 वर्ष तक किया जायेगा। कार्य में प्रयुक्त (वास्तविक) एल0ई0डी0 लाइट/फ्लड लाइट की लागत का 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि पॉच वर्षो के सफलतापूर्वक अनुरक्षण के उपरान्त निकाली जायेगी।
15. फर्म का ई0पी0एफ0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उपरोक्त का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करना एवं कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
16. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, इसी क्रम में कन्सट्रक्शन एवं डेमोलिशन रूल्स 2016 के अनुरूप समस्त मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों एवं अन्य सरकारी विभागों यथा PWD, RED, UPRNN एवं UPPCL में "अ" में "ब" श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों द्वारा लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों में SBD में Qualification + Bidders Section 4.6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार Bid Capacity के अन्तर्गत निविदा में प्रतिभाग कर सकेंगे।
18. लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों में SBD में Qualification + Bidders Section 4.6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार Bid Capacity प्रस्तुत करना होगा। Bid Capacity का गणना प्रपत्र, सक्षम अधिकारी/नोटरी द्वारा प्रमाणित समान प्रकृति कार्य का अनुभव प्रमाण आदि एवं चार्टेट एकाउण्टेंट (सी0ए0) द्वारा प्रमाणित वांछित टर्नओवर Bid documents के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
19. कार्य सम्पादन में निकले टूटे/टेढ़े पुराने पोलो को (जिनके स्थान पर नये पोल लगाये गये है) फर्म द्वारा लिया जायेगा।
20. फर्म के सुपरवाइजर/कर्मचारी द्वारा कार्य द्वारा कार्य स्थल पर किसी भी मशीन एवं उपकरण को क्षतिग्रस्त करने की स्थिति क्षति की प्रतिपूर्ति फर्म के देयक से अथवा जमानत धनराशि से कटौती करके की जायेगी।
21. फर्म को विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा फर्म के किसी भी कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर फर्म को ही पूर्ण उत्तरदायित्व का वहन करना होगा।
22. अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत निविदादाता की निविदा यदि प्रथम न्यूनतम प्राप्त होती है तो मण्डी परिषद में पंजीकरण हेतु वांछित समस्त अभिलेख निर्धारित शुल्क सहित प्रार्थना–पत्र तीन दिवस के अन्दर वि0/यॉ0 खण्ड, वाराणसी मे प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा मान्य नही होगी।
23. अनुबन्ध गठन के समय वाहय पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा निविदा की लागत का 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा की जायेगी जो मण्डी परिषद में पंजीकृत होने के उपरान्त उप निदेशक(वि0/यॉ0), वाराणसी द्वारा वापस कर दी जायेगी।
24. निविदा प्राप्त होने पर यदि अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार व परिषद में पंजीकृत ठेकेदार की दरें एक समान प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम वरियता मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों को दी जायेगी।

25. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 दिनांक 08 जून, 2012 के अनुसार अनुबन्ध गठन के समय 10 प्रतिशत विलो (Below) दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक विलो (Below) की स्थिति में 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम की दर से सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी अतिरिक्त रूप से ली जायेगी।

26. कार्य समाप्ति की अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में बिना किसी कारण एवं औचित्य के न होने पर टी–1 के अनुसार कार्य की लागत का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की एवं अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

27. ई–टेण्डर में किसी प्रकार का निगोसिएशन नहीं किये जोयेंगे और टेण्डर खुलने के बाद प्राप्त दरें ही अन्तिम होगी और उन्ही दरों के आधार पर निर्णय लिये जायेंगे।

28. एच0टी0 लाइन/एल0टी0 लाइन एवं ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर के कार्यो को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन के सक्षम अधिकारी से निरीक्षण कराकर कार्य सन्तोषजनक होने का प्रमाण–पत्र फर्म/ठेकेदार को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त कार्यो को पूर्ण कराने एवं सम्पूर्ण विद्युत वितरण प्रणाली को कार्यरत अवस्था में मण्डी समिति को तथा एच0टी0 लाइन एवं सब स्टेशन उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को हैण्ड ओवर करने के उपरान्त ही ठेकेदार का अन्तिम भुगतान किया जायेगा। इस हेतु फर्म/ठेकेदार को अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

उप निदेशक (वि0/यॉ0)
मण्डी परिषद, वाराणसी।

Signature Not Verified
Digitally signed by ANUPAM PRATAP SARNAGAR
Date: 2026.05.06 17:21:13 IST
Location: Uttar Pradesh-UP